

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

अनवान

सुआमोटो रास्ता

बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

केसम मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर  
प्र0सं0 16/2020 प्रा0पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.10.2020	<p>सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व/2020/814 दिनांक 01.09.2020 द्वारा ग्राम धापड़ा पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा के बिलानाम आ.नं.958रकबा 2.07 बीघा किस्म गै.मुखलियान मे से रकबा 0.19 बीघा भूमि में से रास्ता भीम रोड़ से ग्राम बटेरी के मजरा पीपला को मिलाता है। मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई होकर चालु रास्ते के रूप में सार्वजनिक उपयोग में आ रही है जिसके समर्थन में सम्बत् 2071 से 2074 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का थाणा के तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12.10.2020 को पेश हो।</p>	
12.10.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीदार की रिपोर्ट/अभिशंषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p><b>:: आदेश ::</b></p> <p>अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम धापड़ा पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 958 रकबा 2.07 बीघा किस्म गै.मुखलियान मे से रकबा 0.19 बीघा भूमि में से रास्ता भीम रोड़ से ग्राम बटेरी के मजरा पीपला को मिलाता है जो मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई होकर चालु रास्ते के रूप में सार्वजनिक उपयोग में आ रही है को, राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों में, संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट-‘ए’ में वर्णितानुसार कर अमलदरामद की कार्यवाही करे। पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा</p> <p>(महीपाल) उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर, करेड़ा</p>